

## कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

संख्या- 875/सी0ई0ओ0-1-73/1-2016टीसी-1  
सेवा में,

लखनऊ: दिनांक: 13 मार्च, 2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।विषय:- लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)  
आकाशवाणी, लखनऊ के कर्मचारियों व वाहनों की निर्वाचन ड्यूटी से मुक्ति के  
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) आकाशवाणी के कर्मचारियों व वाहनों को आर0ओ0 हैण्डबुक के प्रस्तर-3.3.1 (a) (viii) में तथा आयोग के पत्र संख्या-INST/2008-EPS दिनांक 26.12.2008 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या:- 875(1)/सी0ई0ओ0-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सहायक निदेशक (का0) कृते केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ लखनऊ को उनके पत्र संख्या-लख-15(18)पी-1/2019/लो0स0चु0, दिनांक 25.02.2019 के क्रम में।
- 2- समस्त उप/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को वेबसाईट पर डालने हेतु।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

3

प्रसार भारती  
भारतीय प्रसारण निगम  
आकाशवाणी लखनऊ

पत्रांक : लख-15(अपी)-1/2019/लौ0स0यु0/

दिनांक 25.02.2019

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।  
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

लखनऊ : दिनांक 25 जनवरी, 2017

संख्या-116/सी0ई0ओ0-1

सेवा में,  
समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-2741/सी0ई0ओ0-1-73/1-2016 दिनांक 23 दिसम्बर 2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा मतदान कार्मिकों की इयूटी हेतु भारत निर्वाचन आयोग के विभिन्न पत्रों के माध्यम से दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। कतिपय जनपदों से यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के कार्मिकों की भी इयूटी लगा दी गयी है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-464/आई0एन0एस0टी0/2008/ई0पी0एस0 23.12.2008 द्वारा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के कार्मिकों को इयूटी से मुक्त रखने के निर्देश दिये गये हैं। (छायाप्रति संलग्न) संख्या-464/आई0एन0एस0टी0/2008/ई0पी0एस0 दिनांक 23.12.2008 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-464/संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,  
(पी.के. पाण्डेय)  
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
उ0प्र0 लखनऊ।

180/CE0  
CE0  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तर/प्रदेश,  
चतुर्थ तल, विकास भवन,  
जनपथ मार्केट,  
लखनऊ  
S-2-19  
(एल. वेंकटरंगर रौ.)  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल  
प्रमुख सचिव, आरवम  
छा 30 शा.लखन।

विषय :- आकाशवाणी के कर्मचारियों /वाहनों को चुनाव ड्यूटी से मुक्ति के  
संबन्ध में।

महोदय,

कृपया लोकसभा चुनाव 2019 के संदर्भ में पूर्व पत्रों में हुए लोकसभा/विधानसभा चुनावों की भाँति आकाशवाणी के कर्मचारियों/वाहनों को पूरे प्रदेश में चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने का आदेश निर्गत करने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी लखनऊको इस आशय का पत्र भी उपलब्ध करा दें ताकि प्रसारण कार्यों में व्यवधान न हो।

भवदीया,  
21.1  
(राजाला शहनाज)  
सहायक निदेशक (का0)  
कृते केन्द्र निदेशक

उत्तर/प्रदेश राय मिश्र)  
26 दिनेश शर्मा निवाचन एवं  
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उ0प्र0 शासन।

3.3.19  
ASST CE0 (P)

250-1

26/01/19

(संसा चन्द्र मुख)  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तर प्रदेश

श्री शर्मा

8/7

3/7

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
 NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110002  
 G.E-2009  
 Dated: 26<sup>th</sup> September 2009

The Chief Electoral Officers  
 of all States/UTs

Subject: General Election to Lok Sabha, 2009 - Deployment of officers and staff - regarding.

Sir/Madam, I am directed to state that the Commission has decided that the officers and staff of following departments will not be requisitioned for deployment of election duty -

- (a) The officers and staff of following departments will not be requisitioned for deployment of election duty -
  - (i) Senior officers of the Indian Forest Service.
  - (ii) Doctors and Compounders working in veterinary hospitals.
  - (iii) Officers working in Grade - B (Cattle Extension Officers) in veterinary hospitals.
  - (iv) Medical Practitioners.
  - (v) Territorial Staff of Forest Department.
  - (vi) All India Radio.
  - (vii) Doordarshan.
- (b) The operational/technical staff of BSNL, MTNL, UPSC and educational institutions will be requisitioned for election duty only in unavoidable circumstances.
- (c) Officer/staff of Commercial Bank located in rural area and it happens to be a single officer branch, need not be deployed. It is clarified that while drawing up persons for election duties, you should explore the possibility of asking for persons from one Corporation/PSUs in the area instead of asking from one Corporation/PSUs in a particular organization.

so that it is not too much of a strain on a particular organization kindly acknowledge it receipt of the letter

Yours  
 JSUMIT  
 UNDE

**कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

संख्या-2741 / सी0ई0आ0-1-73 / 1-2016 लखनऊ  
 चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001  
 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

विषय- आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017-निर्वाचन ड्यूटी के संबंध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विगत निर्वाचनों के दौरान मतदान कार्मिकों की ड्यूटी के संबंध में निर्माकित पत्रों के माध्यम से दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं, जिन्का विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	विवरण	आयोग के पत्र संख्या एवं दिनांक
1	General Election to Lok Sabha, 2009- Deployment of officers and staff regarding.	पत्र संख्या-464/INST/2008-EPSS दिनांक 26.12.2008
2	Use of teachers in election work	पत्र संख्या-509/65/2009/J.S.I दिनांक 28.01.2008
3	Drafting of physically challenged personnel for election duty- regarding.	पत्र संख्या-464/INST/2008/EPSS दिनांक 23.12.2008
4	General Election to the Lok Sabha, 2009- drafting of teachers/women/ pregnant women as polling personnel- regarding.	पत्र संख्या-464/INST/2008/EPSS दिनांक 11.02.2009
5	General Election to the State Legislative Assembly, 2013 - Deployment of Ayurvedic, Unani and Homeopathic Practitioners - Exemption - regarding.	पत्र संख्या-464/INST/2013-EPSS दिनांक 18.09.2013

अतः भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त उक्त पत्रों को छायाप्रतिमा पुनः संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
 संलग्नक-संयोजक।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।  
 (रमेश चन्द्र राय)  
 संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।  
 (रमेश चन्द्र राय)  
 संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

4/7

5/7

